मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20, नियम 6–7, जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी

पीठासीन अधिकारी – स्वाति गुप्ता RAS
राजस्व वाद संख्या – 180 / 2023

1 पूर्णाराम पुत्र मुखराम जाति जाट निवासी मुरानपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

– – वादी

बनाम

1 अमीलाल पुत्र मुखराम जाति जाट निवासी मुरानपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2 पेतराम पुत्र मुखराम जाति जाट निवासी मुरानपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
3 भागीरथ पुत्र मुखराम जाति जाट निवासी मुरानपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
4 भादरराम पुत्र मुखराम जाति जाट निवासी मुरानपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
5 रामेश्वरलाल पुत्र मुखराम जाति जाट निवासी मुरानपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
6 लूणाराम पुत्र मुखराम जाति जाट निवासी मुरानपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

– – प्रतिवादीगण

अन्तर्गत धारा :– 88 आर.टी.ए. बाबत घोषणा

निर्णय दिनांक – 15.04.2024

वादी की ओर से श्री महावीर प्रसाद वर्मा अधिवक्ता व प्रतिवादीगण की ओर से श्री करनैल सिंह अधिवक्ता की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 15.04.2024 को स्वाति गुप्ता RAS उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाकर अन्तिम डिक्री की जाती है कि वादी के विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन करने तथा पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन के बाद वाद पत्र स्वीकार योग्य पाये जाने पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत वाद पत्र में वर्णित चक मुरानपुरा वास्ती के जमाबन्दी संवत् 2075 ता 78 के खाता संख्या 57 / 82 में कुल 2.656 हैक्टर आराजी में से प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 प्रत्येक के 1061 / 111552 हिस्सा की आराजी का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर चक मुरानपुरा वास्ती के खाता संख्या 57 / 82 में से प्रतिवादीगण ... कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। इसी अनुसार ... जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.05.08 11:19:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी

तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि बाबत प्रकार से भार मुक्त होने की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर खाता कायम किया जावे। भूमि की किस्म (आबपाशी

नहरी / बारानी / गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना-अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 15.05.20[illegible] को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई

मुहर

([illegible])
उपजिलाधिकारी [illegible]
पदेन सहायक कलक्टर
[illegible]

वाद के खर्चे

वादी	रुपया	प्रतिवादी	रुपया
वाद पत्र के लिये स्टाम्प	--	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	--
शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	--	अर्जी के लिये स्टाम्प	--
अर्जी के लिये स्टाम्प	--	प्लीडर की फीस	--
दावे पर प्लीडर की फीस	--	साक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता	--
साक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता	--	आदेशिका की तामिल	--
कमिश्नर की फीस	--		--
आदेशिका की तामिल	--	कमिश्नर की फीस	--
योग	--	योग	--

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.05.08 11:19:15 IST
Reason: SelfAttested